भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1274**

दिनांक 20 दिसंबर, 2018 को उत्‍तर के लिए

**आई सी पी एस के तहत कर्नाटक को आबंटन**

**1274. श्री राजीव चन्द्रशेखरः**

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक राज्य सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग को एकीकृत बाल संरक्षण योजना (आई सी पी एस) के तहत कितनी धनराशि प्रदान की गई है; और

(ख) क्या सरकार को राज्य सरकार की ओर से निधियों के उपयोग के प्रारूप के संबंध में कोई ब्यौरा प्राप्त हुआ है; और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्‍तर**

डा. वीरेन्‍द्र कुमार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्‍य मंत्री

(क) और (ख) : ‘’बाल संरक्षण सेवाओं’’ (सीपीएस) (पूर्ववर्ती एकीकृत बाल संरक्षण स्‍कीम) के अंतर्गत कर्नाटक राज्‍य सरकार द्वारा जारी की गई और उपयोग की गई निधियों का ब्‍यौरा निम्‍नलिखित है :-

**(राशि लाख में)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2015-16** | | **2016-17** | | **2017-18** | |
| **जारी की गई निधि** | **उपयोग की गई निधि** | **जारी की गई निधि** | **उपयोग की गई निधि** | **जारी की गई निधि** | **उपयोग की गई निधि** |
| 1845.24 | 2193.66 | 3720.80 | 3709.53 | 3272.45 | 1364.04 |

राज्‍य सरकार से प्राप्‍त उपयोगिता प्रमाणपत्र के आधार पर, केंद्र सरकार राज्‍य सरकार को निधि जारी करती है। राज्‍य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार गत वर्ष के दौरान उपयोग की गई निधि का ब्‍यौरा उपरोक्‍त तालिका में दिया गया है।

\*\*\*\*\*\*\*